भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4026

(जिसका उत्तर मंगलवार, 03 अप्रैल, 2018 को दिया गया)

चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम में उच्च-स्तरीय समिति द्वारा संशोधन

4026. श्रीमती वानसुक साइमः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहकारी बैंकों द्वारा हाल में धोखाधड़ी के चलते चार्टर्ड अकाउंटेंट की भूमिका के बारे में ऐसे आरोप लगे हैं कि वे कारपोरेट घरानों और सरकारी निकायों में राजकोषीय पारदर्शिता पर निगरानी रखने के अपने अधिदेशित कार्य से पल्ला झाड़ रहे हैं;

(ख) क्या सरकार पूर्व में हुए ऐसे ही बदनाम सत्यम घोटाले से सबक लेने में असफल रही है जब लेखा परीक्षकों को उनकी विश्वास संबंधी जिम्मेदारी की उपेक्षा करने के लिए दोषी ठहराया गया था; और

(ग) क्या सरकार द्वारा नियुक्त उच्च-स्तरीय समिति ने पहले ही चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम में संशोधनों का प्रारूप तैयार कर लिया है और यदि हां, तो उच्च-स्तरीय समिति की सिफारिशों की अद्यतन स्थिति क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरुण जेटली)**

(क) और (ख): मंत्रालय ने, सीबीआई के समक्ष दायर एफआईआर के आधार पर, क्रमशः तारीख 17.02.2018 और 21.02.2018 के आदेश द्वारा नीरव मोदी और मेहुल चीनुभाई चोकसी ग्रुप की 107 कंपनियों और 7 एलएलपी और साथ ही रोटोमैक ग्रुप की 11 कंपनियों के मामलों की एसएफआईओ द्वारा जांच किए जाने के आदेश दिए हैं। उक्त जांच के दौरान विभिन्न कंपनियों की भूमिका की संपूर्ण जांच की जाएगी। उक्त जांच प्रगति पर है।

(ग): जी, हां। उक्त स्तरीय समिति ने मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसे तीन व्यवसायिक संस्थानों अर्थात् - भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) भारतीय लागत लेखाकार संस्थान (आईसीएओआई) और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) को भेजा गया है।

*****